न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका।

विविधवाद संख्या–263 / 2022 धारा 144द0प्र0स0

सुशील केरकेट्टा वनाम उत्तम मिंज

<u>आदेश</u>

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	10/02/023	अभिलेख उपस्थापित।	

यह वाद थाना प्रभारी भण्डरिया के डी0 आर नम्बर 2529 दिनांक 27.11.2022 के द्वारा यह प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। उक्त खाता प्लौट रकबा निम्नलिखित है।

ग्राम	नया खाता सं0	नया प्लॉट सं0	रकबा ए0 में	उ0	द0	पू0	प0
बरगढ़	89	444	0.57	परधन लकड़ा एवं बंधु लकड़ा	उमेश लकड़ा एवं तेतरा लकड़ा	उमेश लकड़ा एवं तेतरा लकड़ा	रेमून कच्छप व जितवा कच्छप
बरगढ़	89	828	0.74	विजय प्रसाद एवं त्रिवेणी साव	विजय प्रसाद एवं त्रिवेणी साव	रोड	उतम मिंज एवं विरू मिंज
बरगढ़	89	834	0.53	शिवनाथ मिंज व हरू मिंज	सड़क	विजय प्रसाद एवं त्रिवेणी साव	शिवनाथ मिंज एवं हरू मिंज
बरगढ़	89	833	0.06	शिवनाथ मिंज व हरू मिंज	सड़क	विजय प्रसाद एवं त्रिवेणी साव	शिवनाथ मिंज एवं हरू मिंज
बरगढ़	89	905	0.45	उतम मिंज एवं विरू मिंज	मन्ना मंसुरी	रेलवे	बांध
बरगढ	89	443	0.72	परधन लकड़ा एवं बन्धु लकड़ा	उमेश लकड़ा एवं तेतरा लकड़ा	उमेश लकड़ा एवं तेतरा लकड़ा	रेमून कच्छप व जितवा कच्छप

प्रथम पक्षकार का कथन है कि ग्राम बड़गढ़ टोला महुआटीकर थाना व अंचल भण्डरिया के खाता सं0 67 प्लौट संख्या 221 रकबा 1.26एकड़ प्लौट 478 रकबा 0.02एकड़ प्लौट 479 रकबा 0.55एकड़ प्लौट 844 रकबा 0.21एकड़ प्लौट 485 रकबा 0.50एकड़ प्लौट 486 रकबा 0.02एकड़ मकान प्लौट 950 रकबा 0.60 एकड़ कुल रकबा 3.25 एकड़ भूमि गत सर्वे में बीगन उरांव वल्द पहलवान उरांव कोम उरांव साकिन देह दर्ज है। सर्वे रैयत अपने जीवन काल तक उक्त खतियानी भूमि क हक दखल कब्जे मे रहकर जोत कोड़ कर खेतीबारी कर उसका उपयोग करते रहे तथा जमींदार को मालगुजारी देकर जमींदारी रसीद प्राप्त करते आ रहे है। वीगन उरांव की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र भागीरथ उरांव एवं नान्हु उरांव संयुक्त रूप से खाता संख्या 67 के सभी प्लॉट कुल रकबा 3.25 एकड़ भूमि के हक दखल कब्जे में रहकर जोत कोड़ कर उसका उपयोग करते आ रहे है। तथा सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी मालगुजारी रसीद कटाते आ रहे है। प्रथम पक्षकार गण का निर्विवाद रूप से शांतिपूर्णक हक, दखल, कब्जा में तथा प्रथम पक्ष का खतियानी भूमि है। जिस पर पूर्वजों के समय से ही हक दखल कब्जा चला आ रहा है। लेकिन द्वितिय पक्षकारगण दबंग उदण्ड ताकतवर, प्रभावशाली व्यक्ति तथा अपराधिक किस्म का

व्यक्ति है। जिनका असमाजिक तत्वों के साथ सांठ–गांठ है तथा प्रथम पक्ष को तंग तबाह व परेशान कर उनकी भूमि को हड़पना चाहते है। अन्त में द्वितीय पक्षकारों को प्रथम पक्ष की तालिका 'क' की भूमि पर जाने से रोक जाए।

द्वितिय पक्षकार का कहना है कि ग्राम बड़गढ के खाता सं0 67 विगना उरांव वल्द पहलवान उरांव गत सर्वे में रैयती खाता है। इस रैयति खाता 67 के अर्न्तगत प्लौट संख्या 221 रकबा 1.26एकड़ प्लौट 478 रकबा 0.02एकड़ प्लौट 479 रकबा 0.55एकड़ प्लौट 484 रकबा 0.21एकड़ प्लौट 485 रकबा 0.56एकड़ प्लौट 486 रकबा 0.02एकड़ प्लौट 450 रकबा 0.60 एकड़ कुल रकबा 3.22 एकड़ भूमि इनकी दर्ज है। यह कि खाता संख्या 67 के बिगन उरांव वल्द पहलवान उरांव के दो पुत्र 1. मझिया उरांव 2. गंझिया उरांव हुए जिनसे पांच पुत्र 1. विश्राम उरांव 2. बुधराम उरांव 3. नाजेना उरांव 4. मुकेश उरांव 5. जयमसी उरांव हुए तथा खतियानी रैयत के कनिष्ठ पुत्र 2. गझियां उरांव के तीन पुत्र 1. अनजान उरांव (मृत) 2. बिरू उरांव मृत 3. लक्ष्मण उरांव (मृत) हुए इनलोग मे से अनजान उरांव के एक पुत्र शिवनाथ उरांव है तथा 2 विरू उरांव के दो पुत्र 1. सूबेदार उरांव 2. उत्तम मिंज हुए। तीसरे पुत्र लक्ष्मण उरांव से एक सुकुल उरांव है। द्वितीय पक्ष के पूर्वज विगना उरांव की रैयती खाता 67 है। जिनके वंशज द्वितीय पक्ष गण है। प्रथम पक्ष सुशील केरकेट्टा पिता स्व0 भारतीय उरांव गत सर्वे खतियान रैयत विगना उरांव के वंशज के नहीं है। जिसको हटाने के लिए द्वितीय पक्ष सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय मे मुकदमा दायर करे रहे है। पूर्व सर्वे में जब यह जमीन द्वितीय पक्ष की रैयती दर्ज है तो हाल सर्वे में प्रथम पक्ष के नामें बिना हस्तांतरण का कैसे आ गया। यह कि खतियानी रैयत बिगना उरांव के दोनो पुत्र 1. मझिया उरांव एवं गझिया उरांव के नामे मांग पंजी के पृष्ट 127/। पर पूर्व से ऑफलाईन मांग चलते आ रहा है। दिनांक 13.03.2021 के भी द्वितिय पक्ष इस भूमि का मालगुजारी अदा कर ऑफलाईन रसीद निर्गत है। थाना प्रभारी भण्डरिया डी0आर0 संख्या 2529/2022 दिनांक 27.11.2022 के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। उक्त रिर्पोट को पु0अ0नि0 मार्टिन पुरती ने 27.11.2022 को स्थल जॉच कर लिखा है कि उक्त जांच प्रतिवेदन में लिखते हे कि प्रसंगाधीन पत्रांक 697 के माध्यम से आवेदक सुनील केरकेट्टा पिता स्व0 भागीरथी उरांव साकिन बड़गढ आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्य का जांच सरजमीन पर जाकर जांच किया तो स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों एवं उपस्थित ग्रामीणों से बात प्रकाश में आई कि आवेदक प्रथम पक्ष एवं द्वितिय पक्ष में कोई रिश्ता नहीं है। दोनो पक्ष साकिन बड़गढ टोला महुआटिकर थाना भण्डरिया के खाता संख्या 67 को लेकर दोनो पक्षों में विवाद चल रहा है। अतः यह गम्भीर मामला है इसलिए सक्षम न्यायालय में अपना–अपना दायर कर सकते है। अतः अनुरोध करते है कि इस वाद जारी प्रारंभिक निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष से हटाते हुए प्रथम पक्ष के विरूध निषेधाज्ञा आत्यांतिक करने की कृपा किया जाय। अतः वाद की धारा 144द0प्र0स0 की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसलिए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

10.2.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 13:04:02 +05:30
Location: 192.168.223.152